



2026:AHC:17848

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 314 वर्ष 2026

पिटू कुमार सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और 4 अन्य

.....प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: हनुमान प्रसाद कुशवाहा

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता

: ए.एस.जी.आई., शिव कुमार पाल

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री हनुमान प्रसाद कुशवाहा और राज्य-प्रतिपक्षी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस.के. पाल की बात सुनी।

2. वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित राहतों की मांग के लिए दायर की गई है:

"1. दिनांक 19.09.2025 को कमांडेंट बटालियन 95 द्वारा पारित सेवा से बर्खास्तगी के आक्षेपित आदेश और दिनांक 09.12.2025 को इंस्पेक्टर जनरल रैंज मुख्यालय सीआरपीएफ चंदौली, उत्तर प्रदेश द्वारा पारित अपीलीय आदेश को निरस्त करने के लिए उत्प्रेषण प्रकृति की एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करता हूँ..."

II. कोई अन्य/अतिरिक्त रिट, आदेश या निर्देश जो इस माननीय न्यायालय प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों के अधीन उचित और उपयुक्त समझे।

III. याचिकाकर्ता के पक्ष में याचिका की लागत का भुगतान करने का आदेश दिया जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रारंभिक आपत्ति उठाई है कि अपीलीय आदेश के विरुद्ध सी.आर.पी.एफ. नियम, 1955 के नियम 29 के तहत पुनरीक्षण का प्रावधान है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त कानूनी स्थिति पर कोई विवाद नहीं किया है।
4. तदनुसार, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को प्राधिकरण के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर करने का निर्देश दिया जाता है और यदि ऐसी पुनरीक्षण याचिका 13.02.2026 तक दायर की जाती है तो विलंब का प्रश्न ही नहीं उठेगा और पुनरीक्षण याचिका पर आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर निर्णय लिया जाएगा।
5. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि रिट याचिका का निर्णय प्रतिपक्षी से कोई प्रतिक्रिया मांगे बिना किया गया है। अतः, इस आदेश को पारित करना यह संकेत नहीं माना जाना चाहिए कि न्यायालय ने प्रकरण के गुण-दोषों पर विचार किया है।
6. पूर्व अवलोकन के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

27 जनवरी, 2026

आशु

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)